

31-5-24

पत्रावली पेश हुई, अधिवाक्यकरण द्वारा  
न्यायिक कार्य रखने के लिए रखने  
से पत्रावली दिनांक 27 को पेश हो।

12-7-24

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता उपर  
आप्राधी सं 2 के अधिवक्ता ने जवाब व एट्टावेज  
पेश किये जिसे शाप पत्र किया जाकर जवाब की  
प्रति वकील प्राधी को दिलायी गयी, वारंटे पत्रावली  
में पिपकी सं. 21 की तामिल देखने / वरम हेतु निपत  
दिनांक 23.7.24 को पेश हो।

23/7/24

पत्रावली पेश हुई। प्राधी मय अधिवक्ता उपस्थित  
नहीं। बाल-2 व श्व-श्व कट हावाजल गोगे पा  
अ कोई हाजिर नहीं आए। अतः प्राधी का  
प्राथमिक पत्र नदम हाजरी व अदम पेशी में  
पवारीज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला मीलघाड़ा